



लक्ष्मीबाई कॉलेज LAKSHMIBAI COLLEGE
(दिल्ली विश्वविद्यालय) (University of Delhi)
अशोक विहार – III, दिल्ली-110052 कार्यालय: 011-27308598, 27304076
टेलीफैक्स: 27304076
ASHOK VIHAR - III, DELHI-110052 Office : 011-27308598,
27304076 Telefax : 27304076

दिनांक Date: 10 अगस्त August 2021

सूचना NOTICE

शिक्षण (स्थायी) स्टाफ के सदस्यों से अनुरोध है कि वे कॉलेज की वेबसाइट से वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए निवेश घोषणा पत्र डाउनलोड करें और टीडीएस की गणना के लिए सहायक दस्तावेजों (यदि कोई हो) के साथ लेखा विभाग को जमा करें, ऐसा न करने पर टीडीएस की गणना की जाएगी। इनकम टैक्स तदनुसार (15/09/2021 तक) किया जाएगा। Members of the teaching (Permanent) staff are hereby requested to download the Investments Declaration Form for the Financial Year 2021-2022 from college website and submit the same to Accounts Department along with the supporting documents (if any) for calculation of TDS failing which the calculation of INCOME TAX will be done accordingly.(Latest by 15/09/2021).

स्थायी शिक्षक सदस्य वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए अंतिम गृह ऋण प्रमाणपत्र (जिन्होंने पहले जमा नहीं किया है) और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अस्थायी प्रमाणपत्र जमा करें।

Permanent teaching staff members are requested to submit FINAL HOME LOAN CERTIFICATE for the Financial Year 2020-2021, (who have not submitted earlier) and Provisional Certificate for the Financial Year 2021-2022.


मामले को प्राथमिकता/तत्काल आधार पर निपटाया जा सकता है क्योंकि आवश्यक जानकारी ऑडिट के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है।

The matter may be treated on priority/urgent basis as the information required is essential also from AUDIT point of view.

इसके अलावा, संपत्ति के मालिक का पैन अनिवार्य है। जो स्रोत पर कर कटौती में मकान किराया छूट का दावा कर रहे हैं, यदि पैन कार्ड की प्रति जमा नहीं की जाती है, तो टीडीएस में मकान किराया भत्ते के लिए कोई छूट लागू नहीं की जाएगी। Further, the PAN of property owner is mandatory. Those are claiming House Rent Exemption in Tax Deduction at Source. If PAN Card copy is not submitted, no exemption will be applied for House Rent Allowance in TDS.

कृपया आवश्यक जानकारी बुधवार (1 सितंबर, 2021) तक लेखा विभाग में जमा करें।

Kindly submit the information required in Accounts Department latest by Wednesday (1 September, 2021).

A handwritten signature in black ink, followed by the date 10/11/2024, written in a similar style.

प्रशासी अधिकारी

Administrative Officer

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय LAKSHMIBAI COLLEGE
(दिल्ली विश्वविद्यालय) (University of Delhi)

आयकर घोषणा पत्र - वित्तीय वर्ष 2021-22 (वेतन 21 मार्च से 22 फरवरी) Income Tax Declaration form - Financial
Year 2021-22 (Salary March 21 to February 22)

कृपया बड़े अक्षरों का प्रयोग करें Please use capital letters

| | | | |
|---|--------------------------|----------|--|
| नाम Name | | | |
| जन्म तिथि :(कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार)Date of Birth:(As per office record) | | आयु Age: | |
| पिता का नाम Father's Name | | | |
| स्थायी खाता संख्या (PAN) पैन कार्ड की कॉपी संलग्न करें Permanent Account Number (PAN): (Attach copy of PAN Card) | | | |
| पता Address | | | |
| | संपर्क नंबर Contact No. | | |
| पद का नाम Designation | | | |
| प्राप्त करने की अंतिम तिथि Last Date for Receiving | 15 सितंबर September 2021 | | |

मैं, इसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए अपनी बचत, निवेश और अन्य प्रासंगिक घोषणा करता हूँ I, Hereby declare for the purposes of the Income Tax Act, 1961, my savings I investments & other relevant

जानकारी इस प्रकार है Information as follows :

| | | से From | तक To | |
|---|--|---------|-------|--|
| 1 | भुगतान किया गया किराया (मकान मालिक के समझौते और पैन के साथ मासिक रसीदें दें) Rent Paid (Give monthly receipts along with agreement & PAN Of landlord) | | | |
| 2 | मेडिक्लेम प्रीमियम (U/S 80-0) Mediclaime Premium (U/S 80-0) | | | |
| 3 | आवास ऋण ब्याज (संयुक्त उपक्रम के साथ अनंतिम/वास्तविक प्रमाणपत्र) Housing Loan Interest (Provisional/Actual Certificate with joint undertaking) | | | |

निवेश जो आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत योग्य हैं: अधिकतम रु.)

Investments which qualify under Section 80-C of Income Tax Act : Maximum

Rs.)

| | | |
|---|---|--|
| 5 | आवास ऋण प्रिंसिपल Housing Loan Principal | |
| 6 | सामान्य भविष्य निधि Public Provident Fund | |
| 7 | सामूहिक बीमा Group Insurance | |
| 8 | भविष्य निधि मासिक वार्षिक सदस्यता | |

| | | |
|----|---|--|
| | Provident Fund Subscription Monthly/ Annual | |
| 9 | नये में नियोक्ता का योगदान पूर्वसेवार्थ वृत्ति योजना Employer's Contribution to New Pension Scheme | |
| 10 | नई पेंशन योजना में कर्मचारी का योगदान Employee's Contribution to New Pension Scheme | |
| 11 | एनएससी - नया निवेश NSC - New Investment | |
| 12 | बच्चों की शिक्षा (केवल ट्यूशन शुल्क) Children's Education (Tuition Fee only) | |
| 13 | अन्य निवेश Other Investments (कृपया निर्दिष्ट करें) (Please Specify) | |

जीवन बीमा प्रीमियम Life Insurance Premium

| पॉलिसी संख्या Policy No. | पॉलिसी धारक नाम Policy holder Name | अधिमूल्य Premium | नियत तारीख Due Date |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|
| एa | | | |
| बीb | | | |
| सीc | | | |
| डीd | | | |
| इe | | | |
| एफf | | | |
| जीg | | | |
| एचh | | | |
| कुलTotal | | | |

उपरोक्त घोषणा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

The above declaration is true and correct to the best of my knowledge.

यदि पति या पत्नी नियोजित है, तो कृपया पति या पत्नी के नियोक्ता द्वारा घोषित घोषणा प्रस्तुत करें कि "वह अपने नियोक्ता को आयकर छूट के लिए ऐसे दस्तावेजों का दावा नहीं कर रहा है या दिखा नहीं रहा है"।

If spouse is employed, kindly submit declaration by employer of spouse that "he/she is not claiming or showing such documents for INCOME TAX REBATE to his/her employer".

हस्ताक्षर Signature

दिनांक Date

टिप्पणियाँ Notes:

1) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 है Last Date for Receiving is 15th September 2021

- 2) उपरोक्त निवेश/भुगतान के प्रमाण वास्तविक भुगतान के बाद ही अग्रेषित किए जा सकते हैं। Proofs of above investments / payments can be forwarded only after actual payment.
- 3) ऐसे मामले में जहां भुगतान (बीमा पॉलिसी, होम लोन ईएमआई, मेडिक्लेम पॉलिसी) जनवरी और फरवरी 2022 में देय हैं, आपसे अनुरोध है कि ऐसे भुगतानों को सूचित करें और 15 फरवरी, 2022 को या उससे पहले सबूत सौंप दें। In case where the payments (Insurance Policy, Home loan EMI, Mediclaim Policy) are payable in Jan, & Feb 2022 you are requested to inform such payments and handover the proofs on or before 15th February, 2022.
- 4) फरवरी माह के वेतन के बाद आयकर की गणना के लिए किसी भी नए निवेश (पीपीएफ, बांड, नई बीमा पॉलिसी) पर विचार नहीं किया जाएगा। No Fresh investment (PPF, Bonds, New insurance policy) will be entertained for calculation of income tax after the Month of February Salary.
- 5) कृपया जीवन बीमा पॉलिसी के (मासिक और त्रैमासिक) भुगतान, किराया रसीदें, मकान मालिक का पैन, पेंशन योजना रसीदें आदि के लिए सभी रसीदें/दस्तावेज़ प्रदान करें। Please Provide All receipts/docs for (Monthly and Quarterly)payment of Life Insurance Policy, Rent receipts, PAN of Landlord, Pension Plan receipts etc.